विधायी प्रस्ताव तैयार करते समय प्रारूपकार द्वारा प्रयुक्त प्रत्येक शब्द की जनता और न्यायपालिका द्वारा संवीक्षा की जाती है - डॉ मुरली मनोहर जोशी

नई दिल्ली, 12 फरवरी, 2016 : संसदीय अध्ययन तथा प्रशिक्षण ब्यूरो द्वारा संसदीय ज्ञानपीठ में आयोजित 31 वें अंतर्राष्ट्रीय विधायी प्रारूपण प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारम्भ करते हुए प्राक्क्लन समिति के सभापति, डॉ. मुरली मनोहर जोशी ने कहा कि विधायी प्रारूपण कला के साथ साथ विज्ञान भी है जिसका प्रभाव बहुत व्यापक होता है। विधायी प्रस्ताव तैयार करते समय प्रारूपकार द्वारा प्रयुक्त प्रत्येक शब्द की जनता और न्यायपालिका द्वारा संवीक्षा की जाती है। इसलिए, यह बहुत ही जिम्मेदारी का कार्य है जिसे बड़ी ही सावधानी और सतर्कता के साथ किया जाना चाहिए। प्रारूपकारों को उनके द्वारा तैयार किये जा रहे विधायी प्रस्तावों के सामाजिक और न्यायिक पहलुओं के बारे में सजग रहने का परामर्श देते हुए डॉ. जोशी ने कहा कि प्रारूपकारों को जनता के व्यापक हितों को ध्यान में रखना चाहिए। उन्होंने कहा कि विधान केवल न्यायिक संवीक्षा की अपेक्षाओं पर ही खरे नहीं उतरने चाहिए बल्कि हमारी सामाजिक वास्तविकताओं के अनुरूप भी होने चाहिए।

यह विचार व्यक्त करते हुए कि विधायी प्रारूप के कार्य में लगे प्रारूपकारों की भाषा सरल और स्पष्ट होनी चाहिए, डॉ जोशी ने इस बात पर जोर दिया कि तकनीकी अथवा दुरूह शब्दावली और कठिन शब्दों के प्रयोग से बचना चाहिए क्योंकि इससे भ्रम उत्पन्न हो सकता है और इनकी अनेक व्याख्याएं हो सकती हैं। भाषा को सरल और स्पष्ट रखने की आवश्यकता पर जोर देते हुए उन्होंने सलाह दी कि विधानों का प्रारूप इस धारणा पर आधारित होना चाहिए कि कानूनों की व्याख्या अंततः न्यायपालिका ही करती है। इसलिए कानूनों में अस्पष्टता और भूल-चूक को दूर करने के प्रयास किये जाने चाहिए ताकि ये न्यायिक संवीक्षा की कसौटी पर खरे उतरें। तथापि, डॉ जोशी ने कहा कि विधि का शासन विधि द्वारा शासन तक ही सीमित नहीं है।

संसदीय अध्ययन तथा प्रशिक्षण ब्यूरो के मानद सलाहकार, श्री रघुनन्दन शर्मा और लोक सभा के महासचिव, श्री अनूप मिश्र ने भी 25 देशों से आये 45 प्रतिभागियों को सम्बोधित किया। लोक सभा और राज्य सभा के अधिकारी भी एक माह तक चलने वाले इस कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं।